FORM NO. 123
(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

Court of District collector .... **at- Phalodi**

मालाराम ---------- Versus ---------- सुनिल पंवार (उपखण्ड अधिकारी बाप)

Number of Case ---------- 03 / ---------- Year 2024

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the order
26/7/24	पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी गैर हाजिर। अप्रार्थी उपखण्ड अधिकारी बाप श्री सुनिल पंवार द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यानुसार वर्तमान उपखण्ड अधिकारी श्री सुनिल पंवार के विरूद्व सही निष्पक्ष, फेयरनेस विधिवत एवं प्राकृतिक न्यायिक सिद्वातों के विपरित, निष्पक्ष न्याय नहीं मिलने की कोई उम्मीद नहीं होने के कारण उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानान्तरण किये जाने हेतु प्रस्तुत किया था। उपखण्ड कार्यालय से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ संलग्न पत्र अनुसार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप में विचाराधीन प्रकरण संख्या 2013／411 अनवान बज्रलाल बनाम मालाराम निर्णय दिनांक 02.09.2020 की अपील राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की जा चुकी है। राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के पत्र क्रमांक: टीए／ निग／ 2024／ 4880／ फलौदी／ 08／ 10／2024 दिनांक 16.07.2024 के द्वारा प्रकरण की मूल पत्रावली को भेजने का निर्देश दिया गया है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन एवं खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी, बाप को आदेश दिया जाता है कि राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर से प्राप्त पत्र की पालना शीघ्र सुनिश्चित करे। जिला कलक्टर फलौदी	